रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-160/2026/2091/22-2-2024-17(842)/2025

लखनऊ: दिनांक: 11 मार्च, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओंकार (बन्दी सं0-46/2020) पुत्र श्री तीरथ, जो ग्राम-छपिया मंझरिया, थाना-मुण्डेरवा, जनपद-बस्ती का निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-222/1984, भा0द0वि0 की धारा-302/149, 323/149, 148 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश-पंचम, बस्ती द्वारा दिनांक 17-02-1987 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 24-09-2019 द्वारा धारा 302 को धारा 304 भाग-2 में परिवर्तित कर 05 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड रूपये 30,000/- के व्यतिक्रम में 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित स्पेशल अपील आदेश दिनांक 24-08-2020 द्वारा निरस्त करते हुये सजा को यथावत रखा गया, बन्दी द्वारा दिनांक 02-10-2024 तक अपरिहार 04 वर्ष 00 माह, 10 दिन तथा सपरिहार 04 वर्ष, 09 माह 04 दिन की सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र

संयुक्त सचिव।

संख्या-160/2026/2091(1)/22-2-2024 एवं तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।

3- पुलिस अधीक्षक, बस्ती।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in